न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी आर.ए.एस
अपील संख्या 246/2017 एल आर एक्ट
अनवान जेठाराम बनाम जीवणराम
अपील विरूद्व आदेश– तहसीलदार रतनगढ का नामान्तरणकरण संख्या 1184 दिनांक 27.06.2017

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
17–02–2021	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस के दौरान कहा कि खसरा नम्बर 7,75, एवं 557/78 कुल रकबा 32 बीधा 09 बिस्वा रोही बिनादेसर बीदावतान की कृषि भूमि स्व. मालाराम व निराणीदेवी की है। दोनों ही लाऔलाद फौत हो गये। फौत होते ही उक्त सम्पति अपीलान्ट व उसके भाई बहिनो में निहित हो गयी। अपीलान्ट इंतकाल संख्या 1184 से सीधा प्रभावित हो रहा है। तहसीलदार रतनगढ ने जानबुझकर मुझे सुनवाई का अवसर नही दिया। अतः इंतकाल संख्या 1184 दिनांक 27.06.2017 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील को क्षेत्राधिकार में मानते हुवे रेस्पोडेन्ट के निमित सम्मन जारी किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जावे। हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, तथा अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हैः– अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इंतकाल संख्या 1184 दिनांक 27.06.2017 के विरूद्व सीधे इस न्यायालय में पेश की गई है। जो कन्टेस्टेड नही है। इंतकाल संख्या 1184 गोदनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने गोदनामा के आधार पर स्वीकृत इंतकाल के विरूद्व संक्षम न्यायालय में नही जाकर सीधे ही इस न्यायालय मे अपील पेश कर दी, जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई विशेष परिस्थितिया प्रतीत नही होती है कि इस न्यायालय के स्तर पर सीधे ही सुनवाई की जावे। अतः इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी यह अपील क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। अभिभाषक अपीलान्ट इस अपील को संक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र है। 17/2 अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	